न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।

रामस्वरूप बनाम छुन्दन सिंह आदि

दि० 12–02–2020

पत्रावली आज आदेशार्थ हेतु नियत है।

परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण छुन्दन सिंह आदि को तलब कर विचारणोपरान्त दण्डित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि विपक्षी अपनी दबंगई से दिनांक 23–12–2018 को समय करीब 11 बजे दिन में खड़ंजा उखाड़ कर पिलर के लिये गढढा खुदवाया तथा सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर अवैध निर्माण करा रहे है। मना करने पर विपक्षीगण एक राय होकर जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी डंडा व नाजायज असलाह लेकर आ गये तथा प्रार्थी को जान से मारने का प्रयास किया। घटना के संबंध में प्रार्थी ने थाने पर सूचना दी। इसी बात को लेकर पुनः दिनांक 24–12–2018 को शाम 4 बजे विपक्षीगण जातिसूचक गंदी गंदी गालियां देते हुए प्रार्थी के घर पर चढ़ाई कर दी और धमकी देते हुए कहा मारो साले चमरवा को

परिवादी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० के अधीन दर्ज कराया गया, जिसमें उसके द्वारा परिवादपत्र का समर्थन करते हुए विपक्षीगण द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करना एवं मारने एवं पीटने का कथन किया है। परिवादी के द्वारा धारा 202 दं०प्र०सं० में बतौर साक्षी पी०डब्लू० 1 रामलड़ैते एवं पी०डब्लू० 2 मुकेश कुमार को प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने घटना का समर्थन किया।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र एवं बयान अन्तर्गत धारा 200 व 202 दं०प्र०सं० के अधीन प्रस्तुत की गई साक्ष्य से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 323, 504 भा०दं०सं० एवं 3(1)(आर) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट का अपराध बनता है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को उक्त अपराध के लिये विचारण हेतु तलब किये जाने का संतोषप्रद आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण छुन्दन सिंह, छोटे सिंह, रामबाबू सिंह एवं अमित कुमार सिंह के विरूद्ध धारा 323, 504 भा०दं०सं० एवं 3(1)(आर) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लेते हुए, उन्हें विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी एक सप्ताह के अंदर सूची गवाहान दाखिल करे। बाद पैरवी अभियुक्तगण को नियमानुसार समन निर्गत हो। पत्रावली दिनांक 12–03–2020 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

(संजीव कुमार सिंह)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।